

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2188

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तराखंड में पेयजल की आपूर्ति और जलवायु-सुनम्य अवसंरचना

2188. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हालिया आकलनों के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद उत्तराखंड के कई पहाड़ी और आपदा-प्रवण जिलों में मौसम विशेष के दौरान पेयजल की कमी, जल स्रोतों का क्षरण, भूस्खलन के कारण पाइपलाइन क्षति और जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तराखंड में जिला-वार कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति, जल गुणवत्ता निगरानी परिणाम और जल स्रोत सतता उपाय क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण आधारित योजनाओं, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के पुनरुद्धार और वास्तविक समय निगरानी सहित जलवायु-सुनम्य पेयजल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उत्तराखंड की संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता या कोई विशेष प्रावधान प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन के अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी

पेयजल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तराखंड के कई पहाड़ी और आपदा-प्रवण जिलों में, जल जीवन मिशन के तहत महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, पेयजल की मौसमी कमी, जल स्रोतों की कमी, भूस्खलन के कारण पाइपलाइनों को नुकसान और पेयजल की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे कुछ क्षेत्रों में बने हुए हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार जल स्रोतों के सुदृढीकरण और संरक्षण, वैकल्पिक पेयजल स्रोतों के विकास, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की समय पर मरम्मत, नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण और संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यवस्था को सुदृढ बनाने सहित आवश्यक उपाय कर रही है।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूनों का संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए, ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। गुणवत्ता निगरानी प्रणाली में फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) और प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से नियमित परीक्षण शामिल है: इसके लिए विस्तृत रासायनिक और जीवाणु विज्ञान विश्लेषण के लिए 28 क्षेत्रीय और जिला प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।

वर्ष 2025-26 में, जेजेएम डब्ल्यूक्यूएमआईएस के अनुसार, रासायनिक मापदंडों के लिए प्रयोगशालाओं में कुल 80,856 नमूनों का परीक्षण किया गया, जीवाणु संबंधी मापदंडों के लिए 89,187 नमूनों का परीक्षण किया गया। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है।

<https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report>.

इसके अलावा, 11.02.2026 तक, उत्तराखंड में पारिवारिक नल कनेक्शन और जल गुणवत्ता परीक्षण की स्थिति के प्रावधान की जिला-वार स्थिति **अनुबंध I और अनुबंध II** में दी गई है।

(ग): राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य ने जलवायु-अनुकूल पेयजल अवसंरचना को सुदृढ बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इन उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

- i.) **स्रोत स्थिरता और संरक्षण:** जल जीवन मिशन के तहत, जल स्रोतों की पहचान, संरक्षण और संवर्धन को अनिवार्य घटक बनाया गया है। इन पहलों के तहत, ग्राम स्तर पर, मिशन में जल स्रोतों का संरक्षण (वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से),

भूजल पुनर्भरण और जल स्वच्छता सुनिश्चित करना शामिल हैं।

- ii.) **विकेंद्रीकृत और स्थानीयकृत योजनाएं:** जहां पहाड़ी इलाके हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण-आधारित प्रणालियों को अपनाया जाता है। दूरदराज और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में स्थानीय भू-आकृति विज्ञान स्थितियों को डिजाइन तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आपदा-प्रवण क्षेत्रों में, आपूर्ति पूरी तरह से सुभेद्य विद्युत ग्रिड पर निर्भर नहीं है, बल्कि अनुकूलन बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण-आधारित संवितरण पर निर्भर है।
- iii.) **परिसंपत्तियों की डिजिटल निगरानी:** जल आपूर्ति नेटवर्क की स्थिति की तत्काल ट्रैकिंग को सक्षम बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित किया जा रहा है: इसके तहत पायलट आधार पर कुछ क्षेत्रों में पंपिंग योजनाओं की निगरानी करना शामिल है। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर जलापूर्ति योजना की सभी संपत्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए पूरी पाइपगत जलापूर्ति प्रणाली की मैपिंग की जा रही है। 'जल सेवा आकलन' जैसे साधनों का उपयोग सीधे स्थानीय निकायों से योजनाओं की कार्यशीलता का पता लगाने और जिला जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा है।

(घ): मिशन अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में राज्यों को योजना के लिए निधियों के वार्षिक आबंटन का 25% फ्लेक्सी-फंड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आपदा के बाद रिकवरी कार्यों के लिए निधियों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जेजेएम के तहत राज्यों के पास उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड का उपयोग किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों और आंतरिक गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों/मुद्दों का समाधान करने के लिए जेजेएम के तहत वार्षिक आवंटन का कम से कम 5 प्रतिशत अलग रखें, यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका उपयोग राज्य द्वारा वित्त वर्ष के अंत में कवरेज के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने प्राकृतिक जल स्रोतों और नदी प्रवाहों पर जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करने, महत्वपूर्ण स्रोतों की पहचान करने, तकनीकी समाधान प्रदान करने और निगरानी करने के लिए एक राज्य स्तरीय झरना और नदी कायाकल्प प्राधिकरण (एसएआरआरए) का गठन किया है।

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

11.02.2026 तक नल जल कनेक्शनों की स्थिति

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	अब तक संसूचित कुल पारिवारिक कनेक्शन	अब तक संसूचित पीडब्ल्यूएस के साथ पारिवारिक कनेक्शनों वाले कुल परिवारों का %
1.	अल्मोड़ा	1,26,063	1,16,506	92.42
2.	बागेश्वर	54,659	54,659	100.00
3.	चमोली	76,716	76,638	99.90
4.	चंपावत	45,086	45,000	99.81
5.	देहरादून	1,29,491	1,29,449	99.97
6.	हरिद्वार	2,49,303	2,40,751	96.57
7.	नैनीताल	1,14,156	1,07,083	93.80
8.	पौड़ी गढ़वाल	1,11,552	1,10,723	99.26
9.	पिथौरागढ़	94,474	94,137	99.64
10.	रुद्र प्रयाग	54,880	54,847	99.94
11.	टिहरी गढ़वाल	1,29,045	1,28,689	99.72
12.	उदम सिंह नगर	1,97,905	1,94,788	98.43
13.	उत्तर काशी	65,013	65,002	99.98
	कुल	14,48,343	14,18,272	97.92

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर हेतु नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 11.02.2026 तक 2025-26 के दौरान जल गुणवत्ता परीक्षण की स्थिति

जिला	प्रयोगशाला में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	
	रासायनिक मापदंडों के लिए किए गए परीक्षण	बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए किए गए परीक्षण
अल्मोड़ा	7,003	8,196
बागेश्वर	2,870	3,113
चमोली	5,955	6,399
चंपावत	2,475	2,477
देहरादून	5,856	7,367
हरिद्वार	3,309	3,779
नैनीताल	7,796	8,364
पौड़ी गढ़वाल	13,614	13,878
पिथौरागढ़	5,694	7,014
रुद्र प्रयाग	3,551	3,552
टिहरी गढ़वाल	12,143	13,407
उदम सिंह नगर	4,516	4,705
उत्तर काशी	6,074	6,936
कुल	80,856	89,187

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
